

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONAL
BENCH BHOPAL (MP)**

ORIGINAL APPLICATION No.....**206**...../ 2024

APPLICANTS : Chandikant Jha & Ameen Ahmad.

VERSUS

RESPONDENTS : State of mp & others.

FILE "A"

S. No.	Particulars of Document	Annexures	Page Nos.
COMPLETION-1			
1.	Memorandum of application along with Synopsis and Chronology of Events		1-16
2.	Affidavit.		17
COMPLETION-2			
3.	Paper Book/List of document		18
4.	Copy of complaints	A-1	19-27
5.	Copy of photographs	A-2	28-75
6.	Copy of news papers	A-3	76-95
7.	Vakalatnama & Court Fees		96



Place: Bhopal
Dated: 16.08.2024

through Counsel of applicants
(Prabhat Yadav)
New Market, Dhanwantri Nagar
Square, Jabalpur (MP), Pin-482003
E-mail - lawyerprabhat29@gmail.com
Mobile No.8770168425

16 AUG 2024

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONAL
BENCH BHOPAL (MP)**

ORIGINAL APPLICATION No.....**206**...../ 2024

APPLICANTS : Chandikant Jha & Ameen
Ahmad.

VERSUS

RESPONDENTS : **State of mp** & others.

COMPLETION-1

S. No.	Particulars of Document	Annexures	Page Nos.
1.	Memorandum of application along with Synopsis and Chronology of Events		1-16
2	Affidavit.		17

Place: Bhopal
Dated: 16.08.2024

Prabhat
through Counsel of applicants
(Prabhat Yadav)
New Market, Dhanwantri Nagar
Square, Jabalpur (MP), Pin-482003
E-mail – lawyerprabhat29@gmail.com
Mobile No.8770168425



J. 6 AUG 2024

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONAL
BENCH BHOPAL (MP)**

ORIGINAL APPLICATION No.....**206**...../ 2024

APPLICANTS : Chandikant Jha & Ameen
Ahmad.

VERSUS

RESPONDENTS : **State of mp** & others.

SYNOPSIS

By way of the instant case, the applicants are not challenging any particular order but they are aggrieved by inaction on the part of the Respondents, whereby their main grievance is that handling, treatment and disposal of fly ash waste generated and ill effect of fly ash disposal off in to **Sone River (Gram senduri)** water, **Godaru River** (Harad) and into **Tipan River** (Senduri) and near to residential area in district Anuppur m.p. by respondent no.11. Pollution of fly ash is the main alarming stutation and continuously increasing sources of pollution leading to degradation of soil, water and air. Fly ash generated from respondent company/industrial waste discharged into the streams or dumped into surround 50 miters from residential area in gram panchayat - Senduri, gram Panchayat - Harad and Gram Panchayat - Gadhi (Kotma), in to open land cause serious water, air and soil pollution problems and also




11'6 AUG'2024

handling, treatment and disposal of waste generated during disposal of fly ash generated by private company is not being done as per the direction

Because of such an alarming situation applicants had issued a legal notice to respondents on the ground situation but till today situation has not changed. Spread in Corona cases is still continued at fastest rate. Hence, this case on, the following facts and grounds amongst others.

Place: Bhopal
Dated: 16.08.2024


through Counsel of applicants
(Prabhat Yadav)
New Market, Dhanwantri Nagar
Square, Jabalpur (MP), Pin-482003
E-mail - lawyerprabhat29@gmail.com
Mobile No.8770168425



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONAL
BENCH BHOPAL (MP)**

ORIGINAL APPLICATION No.....**206**...../ 2024

APPLICANTS : Chandikant Jha & Ameen Ahmad.

VERSUS

RESPONDENTS : **State of mp** & others.

CHRONOLOGICAL EVENTS

Sr.No.	Dates	Events
1.	30.7.2024 25.07.2024 23.07.2024 17.07.2024	Applicants are aggrieved by ill effect of fly ash disposal off in to Sone River (Gram senduri) water, Godaru River (Harad) and into Tipan River (Senduri) and near to residential area in district Anuppur m.p. by respondent no.11 therefore applicants file number of complaints to stop fly ash pollution
	3.8.2024 28.7.2024 16.7.2024	Local news paper published all incident on the various places situation and applicants take G.P.R.S. Photographs of fly ash pollution.
3.	29.07.2024 23.07.2024 25.7.2024	some news papers were published the in daily news publication and raises the objection for problems of fly ash disposal , human effects and disposal of fly . citizen raised the objection



11 6 AUG 2024

		that the respondents did not properly handled of the waste fly ash in the residential area in locality.
--	--	---

Place: Bhopal
Dated: 16.08.2025

through Counsel of applicants
(Prabhat Yadav)
New Market, Dhanwantri Nagar
Square, Jabalpur (MP), Pin-482003
E-mail – lawyerprabhat29@gmail.com
Mobile No.8770168425



16 AUG 2024

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONAL
BENCH BHOPAL (MP)**

ORIGINAL APPLICATION No.:.....**206**.... / 2024

- APPLICANTS** :
1. Chandikant Jha S/o Shri Vijay Kumar Jha Aged about-32 years R/o house no -786, ward no 6, jamuna, new double storey, near ganesh chouk jamuna Harad, jamuna colony District-Anuppur Pin Code - 484444, , mobile no- 9630487580 (MP)
 2. Ameen ahmad S/o- Rasid Ahmad, Aged about 40 years R/o-Ward no 7, Stadium ke pass , Jamuna Colony, Harad District Anuppur (MP) pin code- 484444, mobile number- 9691375095

VERSUS

- RESPONDENTS** :
1. The State of Madhya Pradesh through its Chief Secretary, Vallabh Bhawan, District-Bhopal (M.P.) pin code- 462004
CS@MP.nic.in
 2. M.P. Pollution Control Board, through its Secretary, office at - E-5 Link Road Ekant Park, Arera colony, Bhopal (M.P.) pincode-462016, Email- mppcb.mp.gov.in
 3. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, through Deputy Director General of Forests (DDGF), Integrated Regional Office, E-5,



16 AUG 2024

Kendriya Paryavaran Bhawan,
E-5 Arera Colony, Link Road-3,
Ravishankar Nagar, Bhopal – 462016
Email- tg035.ifs@nic.in

4. Pollution Control Board, through Regional officer pf pollution control board , old bus stand, near to Z.S. Vishanadasai petrol pump, District Shahdol (MP) , pin code- 484001, email- ropcbshahadol@gmail.com
5. Office of The Divisional Commissioner , through it,s Commissioner , office of the divissional commission Distrist - Shahdol M.P. pin code- 484224, Commshahdol@mp.gov.in
6. Collector , Office of the district collector , District - Anuppur , M.P. pincode - 484224 ,email- dmanuppur@nic.in
7. Supritendent of Police , office of the Supritendent of Police, District - Anuppur pin code - 484224, email- sp_anuppur@mppolice.gov.in
8. DFO, Office of the district Forest officer , District - Anuppur M.P. pin code- 484224 Email- dfoanuppur@mp.gov.in
9. District mining officer , office of the district mining officer, District- Anuppur , M.P. pin code - 484224 email- modgmanu@mp.gov.in
10. Office of the Reginal Transport office



11 6 AUG 2024

through its RTO, District -Anuppur,
M.P. pin code- Pincode- 484224, [email-
rtoanuppur@gov.in](mailto:rtoanuppur@gov.in)

- 11 Moser Baer Thermal Power Plant, throu
it's CEO/ Plant Head , LAharpur,
Tahsil - Jaithari, District- Anuppur,
M.P. pin code- 484330, email-
contact@hpppl.in

**AN APPLICATION UNDER SECTION 18 READ
WITH SECTION 14,15,16, & 17 OF THE
NATIONAL GREEN TRIBUNAL ACT 2010**

**1. PARTICULARS OF THE CAUSE/ORDER AGAINST
WHICH THE PETITION IS MADE.**

- (a) Date of order - Nil
(b) Passed in - Nil
(c) Passed by - Nil

2. Subject matter in brief-

By way of the instant case, the applicants are not challenging any particular order but they are aggrieved by inaction on the part of the Respondents, whereby their main grievance is that handling, treatment and disposal of fly ash waste generated by respondent no 11 Moser Baer Thermal Power Plant, Anuppur, Madhya Pradesh, India

Anuppur Thermal Power Project is a 2520 megawatt (MW) coal based thermal power project in Anuppur district of Madhya Pradesh.



11 6 AUG 2024

The project is located in Laharpur Murra, Gwari, Belia and Jethari villages situated in Jaithari and Anuppur tehsils of Anuppur district of Madhya Pradesh, Even guidelines of disposal of fly ash have not been followed by respondent no 11.

Applicants are aggrieved by ill effect of fly ash disposal off in to **Sone River (Gram senduri)** water, **Godaru River** (Harad) and into **Tipan River** (Senduri) and near to residential area in district Anuppur m.p. by respondent no.11. Pollution of fly ash is the main alarming situation and continuously increasing sources of pollution leading to degradation of soil, water and air. Fly ash generated from respondent company/industrial waste discharged into the streams or dumped into surround 50 meters from residential area in gram panchayat - Senduri, gram Panchayat - Harad and Gram Panchayat - Gadhi (Kotma), in to open land cause serious water, air and soil pollution problems and also handling, treatment and disposal of waste generated during disposal of fly ash generated by private company is not being done as per the direction

Hence, this case on the following facts and grounds amongst others.

DETAILS OF REMEDIES EXHAUSTED.

The applicants declares that they have availed all statutory and other remedies.



11 6 AUG 2023.

4. **DELAY, IF ANY, IN FILING THE PETITION AND EXPLANATION THERE FOR.**

That, the applicants further declares that there is no delay on their part to file the present petition before this Hon'ble Court.

5. **FACTS OF THE CASE:-.**

5.1 That, the applicants are resident of the District Anuppur (M.P.) and in this effected area where disposal of fly ash is grave concern to the environment as well as public health and fly ash pollution activities are going on by the respondents

5.2 That the applicants are aggrieved by ill effect of fly ash disposal off in to **Sone River (Gram senduri)** water, **Godaru River** (Harad) and into **Tipan River** (Senduri) and near to residential area in district Anuppur m.p. by respondent no.11. Pollution of fly ash is the main alarming stutation and continuously increasing sources of pollution leading to degradation of soil, water and air. Fly ash generated from respondent company/industrial waste discharged into the streams or dumped into surround 50 miters from residential area in gram panchayat - Senduri, gram Panchayat - Harad and Gram Panchayat - Gadhi (Kotma), in to open land cause serious water, air and soil pollution problems and also handling, treatment and disposal of waste generated during disposal of fly ash generated by private



16 AUG 2024

OFF 4448

company is not being done as per the direction and observation date 17/03/2023 of Nation Green Tribunal (Central Bench, Bhopal) in O.A. No.35/2022 in which some direction was given for Fly ash management And Utilization for scientific management and utikization of the fly ash .

5.3 That, in fact not much importance is being given to disposal of fly ash therefor pollution problems has not discussed and resolved regarding generated waste .

5.4 That, the ash coming out of Moser Baer Power Plant Jaithari is a big problem for the human heath . To solve this problem, the coal ministry decided to fill the pits dug by open cast mines in various areas with fly ash by entering into contracts. Moser Baer Power Plant gave a contract to HRC Company to fill the Jamuna open cast mines operated in the east of Jamuna Kotma area. According to the transport rules, the work of filling the Hard open mine was given by transporting it from Jaithari to the Harad mine but the private respondents are not acting as per law. Applicants filed number of complaints to the various authority against pollution of fly ash created/ by respondent no 11 but not any single action has been taken by authority concern .
Copies of the complaints are file collectively as filed herewith as ANNEXURE A/1.



11 6 AUG 2024

5.5 That the , comman drain municipal nala , near railway under bride at Harad filled up by fly ash due to negligence and encroachment manner. There was a very big drain under the railway track on the

side of the under bridge, whose water used to fall towards the slope in the Jamuna open mine, but the HRC company filled the drain by taking the Kalari management in its trap, due to which the water on the side of the railway track has been filled , due to which the railway track can be damaged a lot and the employees of the railway department reached the side and reprimanded the HRC company and Kalari management and ordered them to drain the water an resoration og municipal nalla. Therefor People risk their lives to go out of the village, Due to the dumpers of Moser Baer Power Plant, all the roads leading to Hard Gram Panchayat bhawan and gornvenment School of pratmik shala have been damaged, due to which the villagers have to risk their lives to get out of their village, sometimes even becoming victims of major accidents. Local news paper published all incident on the various places situation . **Copy of all relevant photograph are filed herewith as ANNEXURE A/2**

5.6 That, the some news papers were published the in daily news publication and raises the objection for problems of fly ash disposal , human efects and disposal of fly . citizen raised the objection that the respondents did not properly handled of the waste fly ash in the residential area in locality, no proper procedure has been followed. Due to this reason the negligence towards scientific disposed of fly ash are being thrown anywhere at will. This situation is prevailing everywhere in district -



16 AUG 2021

Anuppur M.P., as a result highly sensitive infection of lungs has spread causing spike in cases of lungs infections. **Copy of news papers cuttings are filed herewith as ANNEXURE A/3. Hence, this original application.**

6. Grounds

6.1 That, the impugned action on the part of the respondents are illegal, arbitrary, contrary to law and procedure of settled guideline of the Central Pollution Control Board.

6.2 That this negligence towards scientific disposal of fly ash being thrown anywhere at district specially at gram - senduri , gram - hard, and gram gradhi in district - Anuppur , as a result infection of Lungs virus has spread . That of such an alarming situation we had issued a legal notice to respondents of the ground situation but till today has not changed any situation in Corona cases infection is still continued at this fastest rate.

6.3 That, Ministry of Environment and Forests and Climate Change (MoEF&CC) Notifications Fly Ash Mission, a Technology Project in Mission Mode of Government of India, was commissioned during 1994 as a joint activity of Department of Science & Technology (DST), Ministry of Power (MoP) and Ministry of Environment and Forests and Climate Change (MoEF&CC) with Department of Science & Technology as nodal agency.



16 AUG 2024

6.4 The Fly Ash Mission was set up to promote research in the area of fly ash utilization so that fly ash could be gainfully utilized instead of its disposal in ash ponds. Ministry of Environment & Forests and Climate Change, Government of India issued 1st Notification on Fly Ash Utilization in September 1999, which was subsequently amended in 2003, 2009 and 2016 stipulating targets for fly ash utilization for Thermal Power Stations and use of fly ash by construction agencies within a prescribed radius of any thermal power station. Ministry of Environment and Forests and Climate Change (MoEF&CC) vide Notification No. S.O. 5481 (E) dated 31st December, 2021, issued a notification on Ash utilization by coal and lignite thermal power plants which shall be applicable for Financial Year 2022-23 onwards. Further an amendment to this notification was issued vide Notification No. S.O. 6169 (E) dated 30th December, 2022 and we hope they are disposing of in accordance with the guidelines issued by the Ministry.

7. RELIEF (S) PRAYED FOR :-

In view of the forgoing facts and circumstances, the applicant prayed for following reliefs :-

- A. It is, therefore, prayed that this Hon'ble Court may kindly be pleased to direct the respondents to stop creating pollution of fly



1. 6 AUG 2024

ash in gram Senduri, gram Harad And gram gadhi in district Anuppur m.p.

- B. The guidelines of CPCB are in addition to existing practices fly ash waste management Rule . Hence strict monitoring is needed. Therefore direction may kindly be issued to Chief Secretary of MP and State Pollution Control Board in this regards.
- C. This Hon'ble Court may kindly be pleased to direct the Respondents to recover compensation from the respondent no 11 on the failure to implement of CPCB guideline on fly ash pollution gram senduri, gram harad, and gram ghadhi district Anuppur m.p.
- D. Pleased to direct to appoint court commissioner to give current status report disposal of fly .
- E. Any other relief as deemed fit and proper in the circumstances of this case, along with the cost of this case be also awarded.



8. Intrim Relief- Nill

9. Court fees Affixed- Rs. 10000/- through postal order /online mode for original application .

Place: Bhopal
Dated: 16.08.2024

through Counsel of applicants
(Prabhat Yadav)
New Market, Dhanwantri Nagar
Square, Jabalpur (MP), Pin-482003
E-mail - lawyerprabhat29@gmail.com
Mobile No.8770168425

11. 6 AUG 2024

Ramdas Sharma
NOTARY
Jabalpur District
M.P. India



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONAL
BENCH BHOPAL (MP)**

ORIGINAL APPLICATION No.....**206**...../ 2024

APPLICANTS : Chandikant Jha & Ameen Ahmad.

VERSUS

RESPONDENTS : State of mp & others.

AFFIDAVIT

I, Chandikant Jha S/o Shri Vijay Kumar Jha Aged about-32 years R/o house no -786, ward no 6, jamuna, new double storey, near ganesh chouk jamuna Harad, jamuna colony District- Anuppur Pin Code - 484444, mobile no- 9630487580 (MP) do tale oath as under ,

1. That, I am applicant no.1 in the instant original application and I am fully conversant with the facts of the case.

2. That, I have filed instant original application before this Hon'ble Tribunal along with application for grant of interim.

3. That, the contents of application for grant of interim from para No.1 to end are true to my personal knowledge and belief. The contents of the application have been drafted under my instructions and I have understood the same as explained to me in Hindi by my counsel.



16 AUG 2024

ckjha

DEPONENT

VERIFICATION

I, Chandikant Jha the above named, deponent do here by verified that the contents of the affidavit paras 1 to 4 are true to my personal knowledge and belief.

Verified and signed on this 16th day of August , 2024, at Jabalpur (M.P.)

IDENTIFY BY ME

16/8/24
Chandikant Jha
who has been identified by Smt. P. K. Godar
who is personally known to whose signature
is here to appended.

ckjha

DEPONENT

P. K. Godar

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL
GREEN TRIBUNAL CENTRAL ZONAL
BENCH BHOPAL (MP)**

ORIGINAL APPLICATION No.....**206**...../ 2024

APPLICANTS : Chandikant Jha & Ameen Ahmad.

VERSUS

RESPONDENTS : State of mp & others.

COMPILATION - 2

LIST OF DOCUMENTS

S.No.	Descriptions of Document	Date of Document	Annexure	Number of Pages
	Copy of complaints	30.7.2024 26.7.2024 23.7.2024 17.7.2024	Ann.A/1	9
	Copy of photosgraps	3.8.2024 28.7.2024 16.7.2024	Ann.A/2	48
3.	Copy of news papers	29.7.2024 23.7.2024 25.7.2024	Ann.A/3	20
4.	Vakalatnama	16.7.2024		1
5.	Court Fees	16.7.2024		



Place: Bhopal
Dated: 16.08.2024

through Counsel of applicants
(Prabhat Yadav)
New Market, Dhanwantri Nagar
Square, Jabalpur (MP), Pin-482003
E-mail - lawyerprabhat29@gmail.com
Mobile No.8770168425

19



पता - बॉट क्र. 118 नमुन काली
दिल्ली - भद्रकम (ए. 7)



भारतीय लोकसभा पार्टी

आई.टी.वेजवाडेट, सोशल मिडिया, प्रबंधन विभाग
जिला-अनूपपुर(म.प्र.)

दिनांक:

कम्पक एन.एन.टी. कलेक्टर महोदय,
जिला अनूपपुर म.प्र.

विषय:- पलायन निपटान एवं परिवहन के संबंध में
महोदय,

निवेदन है कि, एम.बी.पावर प्लांट जैतहरी एवं ए.टी.पी.एस.चघाई द्वारा पलायन ऐश निपटान का कार्य ग्राम सेन्दुरी ग्राम हरद ग्रा गढ़ी में किया जा रहा है, उक्त कार्य में दोनों कम्पनियों द्वारा एन.जी.टी./सी.पी.सी.वी. परिवहन/खनन विभाग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है जिसकी सूचना आपको पत्र के माध्यम से पूर्व में दी जा चुकी है, किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि, पूर्व के पत्रों को संज्ञान में लेते हुये 48 घंटे के भीतर कार्यवाही करने की कृपा करे, अन्यथा हमारे द्वारा उक्त स्थानों पर पलायन ऐश निपटान एवं परिवहन कार्य को रोककर विरोध प्रदर्शन किया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी।


संलग्न:- पूर्व पत्रों की छायाप्रति।

दिनांक:-30.07.2024

30/7/24
आर.टी. लिबिक
कार्यालय कलेक्टर अनूपपुर (म.प्र.)

7/8/24
30/7/24

T.C
B.K. Yadav



भारतीय जनता पार्टी

21



21

आई.टी.वेवसाईट, सोशल मिडिया, प्रबंधन विभाग
जिला-अनूपपुर(म.प्र.)

पता- वार्ड नं.05 जमुना कालरी
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

चण्डी कान्त झा
जिला संयोजक

दिनांक 23/07/24

संक्र. BJP/APR/IT/131/24

प्रति,

जिला कलेक्टर
अनूपपुर, (म.प्र.)

विषय- एम.बी पावर प्लांट जैतहरी द्वारा परिवहित हैवी वाहनों के परिवहन के संबंध में।

मान्यवर,

निवेदन है कि एम.बी पावर प्लांट जैतहरी द्वारा ग्राम कुसियरा एवं ग्राम बदरा में निरंतर ओवर लोड भारी वाहनों का आना-जाना निरंतर लगा रहता है उपरोक्त ग्राम सधन आबादी वाले क्षेत्र हैं एवं ग्राम के सड़को की चौड़ाई और क्षमता भारी वाहनों के परिवहन हेतु अपेक्षाकृत काफी कम है, जिससे विगत दिनों दुर्घटनाओं में कई लोगों को चोटें आयी हैं एवं एक महिला की पलाय ऐश के ओवर लोड भारी वाहन से दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है एवं सड़को पर निरंतर जास लगा रहता है जिससे पैदल/साइकिल/मोटर साइकिल चालको के लिए सड़को पर चलना जोखिम भरा हो गया है साथ ही बदरा ग्राम में शासकीय विद्या निकेतन संचालित होती है जिससे छात्र-छात्राओं को विद्यालय पैदल/साइकिल से आने-जाने में असुविधा हो रही है। उन्हें सड़क दुर्घटना में दुर्घटित होने का भय बना रहता है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि ग्राम बदरा एवं कुसियरा में भारी वाहनों के परिवहन को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाए। जिससे बदरा एवं कुसियरा ग्रामवासियों को परिवहित भारी वाहनों के द्वारा संभावित सड़क दुर्घटनाओं से भयमुक्त हो सके।

23/7/24
आचार्य विभूति
राजेश्वर कान्त झा
अनूपपुर (म.प्र.)

T.C.
P.K. YADAV

भवदीय
Chandi Kant
चण्डीकान्त झा



चण्डी कान्त झा
जिला संयोजक

भारतीय जनता पार्टी

आई.टी.वेवसाईट, सोशल मिडिया, प्रबंधन विभाग
जिला-अनूपपुर(म.प्र.)



22

पता - वार्ड क्र.05 जमुना कालरी
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

दिनांक 23/02/24

क्रमांक BJP/APR/IT/130/24

प्रति,

जिला कलेक्टर
अनूपपुर (म.प्र.)

विषय- एम.बी पावर प्लांट जैतहरी द्वारा एन.जी.टी/सी.पी.सी.बी के दिशा निर्देशों का पालन न करने बाबत।

मास्यवर

निवेदन है कि एम.बी पावर प्लांट जैतहरी द्वारा ग्राम सेन्दुरी में पलाय ऐश निपटान का कार्य किया जा रहा है। जिससे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उलंघन हो रहा है।

- 1) तिषान नदी से महज पचास मीटर की दूरी पर पलाय ऐश का निपटान किया जा रहा है। जिससे भविष्य में नदी का जल प्रदूषित होगा। (O.A.No. 675/2018, O.A.No. 450/2019, O.A.No. 105/2020)
- 2) पलाय ऐश निपटान स्थल पर सीमांकन व बाउंडरी नहीं की गई है। जिससे आस-पास के रहने वाले रहवासीयों को निरंतर असुविधा हो रही है। साथ ही क्षेत्र में वायु प्रदूषण होता है। जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 15(1)(बी), प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 17 का उलंघन है।
- 3) पलाय ऐश निपटान स्थल से समीप के कालोनी की दूरी 20 मीटर से कम है। जिससे पलाय ऐश का डस्ट निरंतर उनके घरों में जाता है एवं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो रही हैं। जो कि टोक्स अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2018:नियम 16 (2) का उलंघन है।
- 4) पलाय ऐश निपटान स्थल पर खनन व खनिज, राजस्व विभाग की अनुमति के बिना ही खनन व उतखनन का कार्य किया जा रहा है। जो कि खनिज अधिनियम 1957 की धारा 3 का उलंघन है।
उक्त कार्य द्वारा पर्यावरणीय क्षति, स्वास्थ्य समस्याएँ आ रही हैं (पलाय ऐश में कई हानिकारक रसायन व धातु होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होती हैं।)
- 5) पलाय ऐश के निपटान हेतु एम.बी पावर प्लांट द्वारा पलाय ऐश का परिवहन खुले ट्रक/टीपर का उपयोग किया जा रहा है, जो कि एन.जी.टी/सी.पी.सी.बी के नियमों व दिशा निर्देशों के विरुद्ध है। [O.A.No. 35/2022 (CZ)]

अतः आप से निवेदन है कि उक्त विषयों पर संज्ञान लेते हुए एम.बी पावर प्लांट जैतहरी द्वारा ग्राम सेन्दुरी में जो पलाय ऐश निपटान का कार्य किया जा रहा है उसे तत्काल प्रभाव से रोकते हुए संबंधित विभाग द्वारा जाँच करा कर कठोरतम कार्यवाही की कृपा करें।

भवदीय

T.C.

K.K. YADAV

Chandi Kant Jha

चण्डीकान्त झा

कार्यलय :- भारतीय जनता पार्टी कलेक्ट्रेट के सामने अनूपपुर, पिन-484224

मो.9630487580, 8103668966 ई-मेल : chandi.kant@rediffmail.com

chandikantjha28 jhakant

23/02/24
आजक मिडिया
अनूपपुर (म.प्र.)



चण्डी कान्त झा
जिला संयोजक

भारतीय जनता पार्टी

आई टी वेल्साईट, गोशाल गिडिया, प्रबंधन विभाग
जिला अररपुर (म.प्र.)



पता: भा.क.03 जयना कालरा
जिला अररपुर (म.प्र.)

दिनांक 19/07/24

क्रमांक : 29/24

प्रति,

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
अनूपपुर (म.प्र.)

विषय - एम.बी पावर प्लांट जैतहरी द्वारा एन.जी.टी./सी.पी.सी.बी के दिशा निर्देशों का पालन ना करने बाबत।

मान्यवर

निवेदन है कि एम.बी पावर प्लांट जैतहरी द्वारा ग्राम सेन्दुरी में पलाय ऐश निपटान का कार्य किया जा रहा है। जिससे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उलंघन हो रहा है।

- 1) तिषान नदी से महज पचास मीटर की दूरी पर पलाय ऐश का निपटान किया जा रहा है। जिससे भविष्य में नदी का जल प्रदुषित होगा। (O.A.No. 675/2018, O.A.No. 450/2019, O.A.No. 105/2020)
- 2) पलाय ऐश निपटान स्थल पर सीमांकन व बाउंडरी नहीं की गई है। जिससे आस-पास के रहने वाले रहवासीयों को निरंतर असुविधा हो रही है। साथ ही क्षेत्र में वायु प्रदुषण होता है। जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 15(1)(वी), प्रदुषण संकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 17 का उलंघन है।
- 3) पलाय ऐश निपटान स्थल से समीप के कालोनी की दूरी 20 मीटर से कम है। जिससे पलाय ऐश का डस्ट निरंतर उनके घरों में जाता है एवं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो रही हैं। जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016:नियम 16 (2) का उलंघन है।
- 4) पलाय ऐश निपटान स्थल पर खनन व खनिज, राजस्व विभाग की अनुमति के बिना ही खनन व उतखनन का कार्य किया जा रहा है। जो कि खनिज अधिनियम 1957 की धारा 3 का उलंघन है।
उक्त कार्य द्वारा पर्यावरणीय क्षति, स्वास्थ्य समस्याएँ आ रही है (पलाय ऐश में कई हानिकारक रसायन व धातु होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होती हैं।)

अतः आप से निवेदन है कि उक्त विषयों पर संज्ञान लेते हुए एम.बी पावर प्लांट जैतहरी द्वारा ग्राम सेन्दुरी में जो पलाय ऐश निपटान का कार्य किया जा रहा है उसी तत्काल प्रभाव से रोकते हुए संबंधित विभाग द्वारा जाँच करा कर कठोरतम कार्यवाही की कृपा करें।

प्रतिलिपी

- 1) कलेक्टर अनूपपुर (म.प्र.)
- 2) वन्य एवं पर्यावरण मंत्री भारत सरकार
- 3) वन्य एवं पर्यावरण मंत्री मध्यप्रदेश
- 4) समाग आमुक्त शहडोल



भवदीय

चण्डी कान्त झा

T.C.

P.K. Yadav



भारतीय जनता पार्टी

आइंटी.वेबसाइट, गोजन मिडिया, प्रबंधन विभाग

जिला अस्पताल (म.प.)



सचिवालय
जिला संयोजक

जिला अस्पताल (म.प.)

दिनांक 19/01/24

दिनांक 19/01/24

प्रति

अ.पु.नि.प.स.प.
अभूमुर (म.प.)

विषय- एम.पी. पावर प्लांट जैतहरी द्वारा एन.जी.टी./सी.पी.सी.वी. को दिशा निर्देशों का पालन ना करने काका।

संदर्भ

निवेदन है कि एम.पी. पावर प्लांट जैतहरी द्वारा ग्राम सेन्दुरी में पलाय ऐश निपटान का कार्य किया जा रहा है। जिससे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन हो रहा है।

- 1) निपटान नदी से महत्व पक्षरा भीटर की दूरी पर पलाय ऐश का निपटान किया जा रहा है। जिससे भविष्य में नदी का जल प्रदूषण होगा। (O.A.No. 675/2018, O.A.No. 450/2019, O.A.No. 105/2020)
- 2) पलाय ऐश निपटान स्थल पर सीमांकन व वॉलडरी नहीं की गई है। जिससे आस-पास के रहने वाले रहवासीयों का निर्यात लक्ष्यित हो रही है। साथ ही क्षेत्र में वायु प्रदूषण होता है। जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा 15(1)(गि) प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 17 का उल्लंघन है।
- 3) पलाय ऐश निपटान स्थल से समीप के कालोनी की दूरी 20 मीटर से कम है। जिससे पलाय ऐश का उच्च निस्तार उनके घरों में जाता है एवं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो रही है। जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 नियम 16 (2) का उल्लंघन है।
- 4) पलाय ऐश निपटान स्थल पर खनिज व खनिज, राजस्व विभाग की अनुमति के बिना ही खनन व उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। जो कि खनिज अधिनियम 1957 की धारा 3 का उल्लंघन है। उक्त कार्य द्वारा पर्यावरणीय क्षति, स्वास्थ्य समस्याएँ आ रही है (पलाय ऐश में कई हानिकारक रसायन व धातु होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होती है।)

अतः आप से निवेदन है कि उक्त विषयों पर संज्ञान लेते हुए एम.पी. पावर प्लांट जैतहरी द्वारा ग्राम सेन्दुरी में जो पलाय ऐश निपटान का कार्य किया जा रहा है उसे तत्काल प्रभाव से रोकते हुए संबंधित विभाग द्वारा जित्त कन्स कर कायोरतम कार्यवाही की जाए।

प्रतिनिधी

✓ जिला अस्पताल (म.प.)

- 2) कन्स एवं पर्यावरण मंत्री भारत सरकार
- 3) कन्स एवं पर्यावरण मंत्री मध्य प्रदेश
- 4) कन्स अस्पताल (म.प.)



24/1/24
आपक निधि
जिला अस्पताल (म.प.)

T.C.

P.K. Yadav

भारतीय जनता पार्टी
जिला संयोजक

भारतीय जनता पार्टी



चण्डी कान्त झा
जिला संयोजक

आई.टी.वेवसाईट, सोशल मिडिया, प्रबंधन विभाग
जिला-अनूपपुर(म.प्र.)

पता- बॉर्ड क्र.05 जमुना कालनी
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

दिनांक-16/07/24

क्रमांक :EJP/APR/IT/ 126/24

प्रति,

कलेक्टर महोदय,

जिला-अनूपपुर (म.प्र.)।

विषय-

पलाई ऐश निपटान एवं परिवहन के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि हिन्दुस्तान पावर, जैतहरी एवं चवाई पावर प्लांट द्वारा पलाई ऐश निपटान हेतु जिले में बंद पड़ी कोयला खदानों, नीचली जमीनों का चयन किया गया है। उक्त कार्य हेतु खनन विभाग, पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, परिवहन विभाग, प्रदूषण विभाग की अनुमति आवश्यक होती है। किन्तु दोनों प्लांटों द्वारा उक्त किसी भी विभागों से अनुमति के बिना एवं एन.जी.टी./सी.पी.सी.बी. के दिशा निर्देशों एवं नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त कंपनियों पर नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें।

Chandi Kant Jha
16/7/24
आगत दिनांक
कार्यवाही अनूपपुर (126)

T.C.

P.K. Yadav

(भवदीय)
Chandi Kant Jha
(चण्डीकान्त झा)



चण्डी कान्त झा
जिला संयोजक

भारतीय जनता पार्टी

आई.टी.वेवसाइट, सोशल मिडिया, प्रबंधन विभाग
जिला-अनूपपुर(म.प्र.)



पता- आई.टी.वेवसाइट, सोशल मिडिया, प्रबंधन विभाग
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

दिनांक: 6/6/24

संख्यांक: BJP/APS/11/5/23/24
प्रति,

कलेक्टर महोदय,

जिला-अनूपपुर (म.प्र.)।

विषय- पलाई ऐश निपटान एवं परिवहन के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि हिन्दुस्तान पावर जैतहरी द्वारा पलाई ऐश निपटान एवं परिवहन हेतु दिसरिया पंचायत अंतर्गत नीचली जमीनों का चयन किया गया है। उक्त कार्य हेतु संबंधित ठेकेदार एवं कंपनी द्वारा अवैध उत्खनन और लोड परिवहन एवं एन.जी.टी./सी.पी.सी.बी. के दिशा निर्देशों एवं नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। एन.जी.टी./सी.पी.सी.बी. के दिशा निर्देशों स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि पलाई ऐश निपटान हेतु चयनित स्थल पर अस्थाई बाउन्ड्री (पलाई ऐश के बारीक कणों के स्वारा के माध्यम से अन्दर जाने से अस्तमा,ड्रोकाईटिस और अन्य फेफड़ों की बीमारी जैसे रक्तन संबंधी समस्याएं हो सकती है, पलाई ऐश में भारी धातुएं एवं विषताक पादार्थों की उपस्थिति के कारण हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं।), किसी भी जल स्रोत से न्यूनतम 1 कि.मी. की दूरी (पलाई ऐश में भारी धातुएं होती हैं जो जल स्रोत में घुल कर जलीय जीवन एवं मानव स्वास्थ्य को हानी पैदा करती हैं।), राष्ट्रीय राज्य मार्ग/स्टेट हाईवे से 500 मीटर एवं आवासीय क्षेत्रों से पलाई ऐश निपटान स्थलों की न्यूनतम दूरी 500 मीटर (पलाई ऐश में मौजूद जहरीले धातुएं मिटटी की उर्वारक क्षमता को कम कर उत्पादकता पर नाकारात्मक प्रभाव डालती हैं एवं कैंसर कारक होती हैं।) पर पलाई ऐश निपटान का कार्य किया जा सकता है। एवं चयनित स्थल पर भू स्वामी की सहमति, प्रदूषण विभाग से अनापत्ती, खनन विभाग से अनुमति एवं पलाई ऐश निपटान हेतु परिवहन में बंद बंकरों का उपयोग किया जाना दिशा निर्देशों में है, किन्तु कम्पनी द्वारा सारे दिशा निर्देशों एवं नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त कम्पनियों पर नियमानुसार कार्यवाही

करने की कृपा करें।

T.L

चण्डी कान्त झा
(चण्डीकान्त झा)

P.K. Yadav

सेवा में,

सचिव महीया
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
आनुपपुर (म.प्र.)

विषय :- जन उपयोगी लोक अदालत आर्गुमेंट सामग्री
प्रस्तुत करने बाबत ।


महीया,

निवेदन है कि 118 पावर पॉल्ट जंतवों के द्वारा

जेठरी नदी की बड़ी आगरे काल स्थल पिछिका का कार्य किया जा
रहा है। जिससे कारण पिछिका क्षेत्र में निरंतर डस्ट का अंधार
का रहता है। यह पिछिका स्थल पर किली की प्रकार का वायु प्रदूषण
बनी की शक्ति है। छल स्वच्छ सेवा डस्ट आस-पास के खेतीबाड़ी के
शवास लैंग्वी अस्थाय आ रही है। आस ही तिपान नदी से
50-60 मी की दूरी पर आरेखन कर काल स्थल पिछिका किया
जा रहा है। वर्षी उपरोक्त पिछिका डस्ट तिपान नदी में (लिफ्ट)
के माध्यम से नदी के जल में मिल जायेगी। नये काल स्थल से
छे प्रकार के हानि कर शलाक्यन व धातु होते हैं जो कि नदी
में जल में मिलकर हानिकारक प्रभावी होते हैं। तिपान नदी के
जल का उपयोग आस-पास के क्षेत्र वासी कृषि उपयोग,
अल से पीने का पानी में उपयोग किया जाता है।

उपरोक्त आपसे निवेदन है कि डस्ट प्रदूषण जन
उपयोगी लोक अदालत में प्रकरण पंजीकृत करने की
दृष्टा करे।


दिनांक
16/07/24



T.C
र.क. यादव
अधीय
पण्डि अन्त झा
8103660000

ANNEXURE - A/2

(28)



Harad, Madhya Pradesh, India
Harad Railway Station Rd, Harad, Madhya Pradesh 484444, India
Lat 23.167952°
Long 81.913027°
03/08/24 05:45 PM GMT +05:30






Harad, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Harad, Madhya Pradesh 484444, India
Lat 23.163823°
Long 81.917843°
03/08/24 06:00 PM GMT +05:30

Google

GPS Map Camera



 GPS Map Camera

Harad, Madhya Pradesh, India
Unnamed Road, Harad, Madhya Pradesh 484444, India
Lat 23.163823°
Long 81.917843°
03/08/24 05:56 PM GMT +05:30






31



Harad, Madhya Pradesh, India
Harad Railway Station Rd, Harad, Madhya Pradesh 484444, India
Lat 23.168052°
Long 81.913221°
02/08/24 04:39 PM GMT +05:30

Google

GPS Map Camera



33


 GPS Map Camera

Harad, Madhya Pradesh, India
Harad Railway Station Rd, Harad, Madhya Pradesh 484444, India
Lat 23.168527°
Long 81.912813°
28/07/24 06:58 PM GMT +05:30



Google


34



 **GPS Map Camera**

Harad, Madhya Pradesh, India
Harad Railway Station Rd, Harad, Madhya Pradesh 484444, India
Lat 23.168518°
Long 81.911598°
28/07/24 06:46 PM GMT +05:30






Payari, Madhya Pradesh, India
5VQF+8FX, Payari, Madhya Pradesh 484444, India
Lat 23.18973°
Long 81.875531°
28/07/24 06:44 PM GMT +05:30

GPS Map Camera


Google



 GPS Map Camera

Payari, Madhya Pradesh, India
5VQF+8FX, Payari, Madhya Pradesh 484444, India
Lat 23.18973°
Long 81.875531°
28/07/24 06:44 PM GMT +05:30





 GPS Map Camera




Payari, Madhya Pradesh, India
5VQF+8FX, Payari, Madhya Pradesh 484444, India
Lat 23.18973°
Long 81.875531°
28/07/24 06:44 PM GMT +05:30


38



 GPS Map Camera

Harad, Madhya Pradesh, India
Harad Railway Station Rd, Harad, Madhya Pradesh 484444, India
Lat 23.169117°
Long 81.913906°
28/07/24 06:27 PM GMT +05:30





 GPS Map Camera

Jaithari, Madhya Pradesh, India
4P8C+2JQ, Road, Jaithari, Senduri, Madhya Pradesh 484224, India
Lat 23.11439°
Long 81.722179°
28/07/24 11:30 AM GMT +05:30



Google

40

40



GPS Map Camera

सेंदुरी, मध्य प्रदेश, भारत


4P8F+24G, सेंदुरी, मध्य प्रदेश 484224, भारत

Lat 23.114343°

Long 81.722162°

28/07/24 11:25 AM GMT +05:30

4



 GPS Map Camera


Jaithari, Madhya Pradesh, India
4P8C+2JQ, Road, Jaithari, Senduri, Madhya Pradesh 484224, India
Lat 23.11439°
Long 81.722179°
28/07/24 11:30 AM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**

सेंदुरी, मध्य प्रदेश, भारत
4P8F+24G, सेंदुरी, मध्य प्रदेश 484224, भारत
Lat 23.114933°
Long 81.722484°
28/07/24 11:33 AM GMT +05:30



44



 **GPS Map Camera**

सैंदुरी, मध्य प्रदेश, भारत
4P8C+4RJ, अमरकंटक मार्ग, सैंदुरी, मध्य प्रदेश 484224, भारत
Lat 23.115237°
Long 81.722122°
28/07/24 11:18 AM GMT +05:30



Google

115



सैंदुरी, मध्य प्रदेश, भारत
4P8F+24G, सैंदुरी, मध्य प्रदेश 484224, भारत
Lat 23.11439°
Long 81.722238°
28/07/24 11:25 AM GMT +05:30

 **GPS Map Camera**


46



 **GPS Map Camera**

सेंदुरी, मध्य प्रदेश, भारत
4P8F+24G, सेंदुरी, मध्य प्रदेश 484224, भारत
Lat 23.114353°
Long 81.722212°
28/07/24 11:26 AM GMT +05:30

Google




47

 **GPS Map Camera**

सेंदुरी, मध्य प्रदेश, भारत
4P8F+24G, सेंदुरी, मध्य प्रदेश 484224, भारत
Lat 23.114427°
Long 81.722258°
28/07/24 11:27 AM GMT +05:30






48

 **GPS Map Camera**

सेंदुरी, मध्य प्रदेश, भारत
4P8F+24G, सेंदुरी, मध्य प्रदेश 484224, भारत
Lat 23.114427°
Long 81.722258°
28/07/24 11:27 AM GMT +05:30



49



 **GPS Map Camera**

सेंदुरी, मध्य प्रदेश, भारत
4P8F+24G, सेंदुरी, मध्य प्रदेश 484224, भारत
Lat 23.114415°
Long 81.72223°
28/07/24 11:28 AM GMT +05:30



50




 **GPS Map Camera**

सेंदुरी, मध्य प्रदेश, भारत
4P8F+24G, सेंदुरी, मध्य प्रदेश 484224, भारत
Lat 23.114427°
Long 81.722364°
28/07/24 11:29 AM GMT +05:30



Google



सेंदुरी, मध्य प्रदेश, भारत
4P8F+24G, सेंदुरी, मध्य प्रदेश 484224, भारत
Lat 23.11453°
Long 81.722341°
28/07/24 11:29 AM GMT +05:30

 **GPS Map Camera**

 Google

52



सेंदुरी, मध्य प्रदेश, भारत
4P8F+24G, सेंदुरी, मध्य प्रदेश 484224, भारत
Lat 23.114427°
Long 81.722364°
28/07/24 11:30 AM GMT +05:30

 **GPS Map Camera**

53




 **GPS Map Camera**

सेंदुरी, मध्य प्रदेश, भारत
4P8F+24G, सेंदुरी, मध्य प्रदेश 484224, भारत
Lat 23.114463°
Long 81.722317°
28/07/24 11:30 AM GMT +05:30



54



सेंदुरी, मध्य प्रदेश, भारत
4P8F+24G, सेंदुरी, मध्य प्रदेश 484224, भारत
Lat 23.114461°
Long 81.722319°
28/07/24 11:31 AM GMT +05:30


 **GPS Map Camera**

Google



Latitude: 23.188232
Longitude: 81.929113
Elevation: 543.06±17 m
Accuracy: 7.2 m
Time: 07-28-2024 10:10
Note: wt

Powered by AutoCam



 **GPS Map Camera**

Jaithari, Madhya Pradesh, भारत
4P8G+2JQ, Road, Jaithari, Senduri, Madhya Pradesh 484224, भारत
Lat 23.115378°
Long 81.721652°
28/07/24 11:34 AM GMT +05:30

Google

57

57







Vivo V15
AI Triple Camera

60



 **GPS Map Camera**

Senduri, Madhya Pradesh, India
4P8F+24G, Senduri, Madhya Pradesh 484224, India
Lat 23.114324°
Long 81.721887°
16/07/24 06:13 PM GMT +05:30



61




 **GPS Map Camera**

Senduri, Madhya Pradesh, India
4P8F+24G, Senduri, Madhya Pradesh 484224, India
Lat 23.114703°
Long 81.722176°
16/07/24 06:14 PM GMT +05:30



Google

62




Google



Senduri, Madhya Pradesh, India
 4P8F+24G, Senduri, Madhya Pradesh 484224, India
 Lat 23.114703°
 Long 81.722176°
 16/07/24 06:13 PM GMT +05:30

63



 GPS Map Camera

Senduri, Madhya Pradesh, India
4P8F+24G, Senduri, Madhya Pradesh 484224, India
Lat 23.114131°
Long 81.721573°
16/07/24 06:13 PM GMT +05:30



Google

64



 GPS Map Camera




Jaithari, Madhya Pradesh, India
4P8C+2JQ, Road, Jaithari, Senduri, Madhya Pradesh 484224, India
Lat 23.113877°
Long 81.721386°
16/07/24 06:11 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**




Jaithari, Madhya Pradesh, India
4P8C+2JQ, Road, Jaithari, Senduri, Madhya Pradesh 484224, India
Lat 23.113595°
Long 81.721295°
16/07/24 06:11 PM GMT +05:30



 GPS Map Camera

Jaithari, Madhya Pradesh, India
4P8C+2JQ, Road, Jaithari, Senduri, Madhya Pradesh 484224, India
Lat 23.113613°
Long 81.721286°
16/07/24 06:10 PM GMT +05:30






 GPS Map Camera

Jaithari, Madhya Pradesh, India
4P8C+2JQ, Road, Jaithari, Senduri, Madhya Pradesh 484224, India
Lat 23.113613°
Long 81.721286°
16/07/24 06:10 PM GMT +05:30




68



 GPS Map Camera



Anuppur, Madhya Pradesh, India
07, Anuppur, Kusmahaj, Madhya Pradesh 484224, India
Lat 23.112208°
Long 81.713907°
16/07/24 06:08 PM GMT +05:30




 GPS Map Camera

Anuppur, Madhya Pradesh, India
07, Anuppur, Kusmahaj, Madhya Pradesh 484224, India
Lat 23.112208°
Long 81.713907°
16/07/24 06:08 PM GMT +05:30



70



 GPS Map Camera



Gohandra, Madhya Pradesh, India
6XHH+66C, Gohandra, Madhya Pradesh 484334, India
Lat 23.228687°
Long 81.979219°
04/08/24 12:16 PM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**




Gohandra, Madhya Pradesh, India
6XGH+9C, Gohandra, Madhya Pradesh 484334, India
Lat 23.226613°
Long 81.979593°
04/08/24 12:19 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**

Anuppur, Madhya Pradesh, India
NH 43, Madhya Pradesh 484334, India
Lat 23.226899°
Long 81.979944°
04/08/24 12:19 PM GMT +05:30

(74)



 GPS Map Camera

Gohandra, Madhya Pradesh, India
6XGJ+GHV, Kali Mandir Rd, Gohandra, Madhya Pradesh 484334, India
Lat 23.227583°
Long 81.980785°
04/08/24 12:21 PM GMT +05:30

Google

75



GPS Map Camera



Gohandra, Madhya Pradesh, India
NH 43, Gohandra, Madhya Pradesh 484334, India
Lat 23.228334°
Long 81.981747°
04/08/24 12:26 PM GMT +05:30

शहडोल/अनूपपुर

Annexure (12/3)

76

Email mpjsnews@gmail.com

जहरीले कचरे से फैल रहा प्रदूषण...!

ओवर लोड वाहन से परेशान आवाम: सेंदुरी से प्लाई ऐश निपटान से फैल रही बीमारियाँ

शहडोल/अनूपपुर-सड़क के किनारे जहरीले कचरे से फैल रहा प्रदूषण। एसी ओवर लोड वाहन से निकलने वाले जहरीले कचरे, ओवर लोडिंग एवं ओवर हाईट कहा जाये तो घने हुये रस्ती गिरावों की रीमा को लाभ कर अपनी भरसक चाल में चल रहे हैं वहीं दूसरी ओर प्लाई ऐश डिसे जहरीला कचरा की रक्षा भी दी गई है मनमानी जगहों पर उड़ेल दिया जाता है इससे वातावरण प्रदूषित तो हो ही रहा है साथ ही गिराये हुये जगहों के आस पास के लोग बीमार हो रहे हैं।



इसके अलावा कचरे को जलाने की कोशिश में निकलने वाले धुएँ भी हैं जो कि आस पास के लोगों को परेशान कर रहे हैं। ओवर लोडिंग के कारण सड़क के किनारे कचरे की ढेरियाँ बन गई हैं जिनसे सड़क के किनारे कचरे की ढेरियाँ बन गई हैं जिनसे सड़क के किनारे कचरे की ढेरियाँ बन गई हैं।

पेटल चलने वाले को होती है परेशानी, तो चुपकी है मौत

प्लाई ऐश के अलावा ओवर लोडिंग के वाहनों को निपटारने में भी जमाने किचकलपन को देखा जा रहा है। वहीं रस्ती में एक जगहों पर प्लाई ऐश के अलावा ओवर लोडिंग के वाहनों को निपटारने में भी जमाने किचकलपन को देखा जा रहा है।

सकने मार्ग से निकल रहे गाड़ी वाहन

एसी ओवर लोडिंग वाहन से ओवर लोडिंग और ओवर हाईट के वाहनों को निपटारने में भी जमाने किचकलपन को देखा जा रहा है।

निपटान स्थल पर नहीं है पर्यटन सेकुराग की व्यवस्था

प्लाई ऐश को निपटारने के लिए शहडोल/अनूपपुर में एक निपटार स्थल बनाया गया है। लेकिन इस स्थल पर पर्यटन सेकुराग की व्यवस्था नहीं की गई है।

कच राखेगी मलजाली

प्लाई ऐश को निपटारने के लिए शहडोल/अनूपपुर में एक निपटार स्थल बनाया गया है। लेकिन इस स्थल पर पर्यटन सेकुराग की व्यवस्था नहीं की गई है।

प्लाई ऐश को निपटारने के लिए शहडोल/अनूपपुर में एक निपटार स्थल बनाया गया है। लेकिन इस स्थल पर पर्यटन सेकुराग की व्यवस्था नहीं की गई है।

प्लाई ऐश निपटान से आतम हो रही बीमार

प्लाई ऐश को निपटारने के लिए शहडोल/अनूपपुर में एक निपटार स्थल बनाया गया है। लेकिन इस स्थल पर पर्यटन सेकुराग की व्यवस्था नहीं की गई है।

शहडोल/अनूपपुर-सड़क के किनारे जहरीले कचरे से फैल रहा प्रदूषण। एसी ओवर लोड वाहन से निकलने वाले जहरीले कचरे, ओवर लोडिंग एवं ओवर हाईट कहा जाये तो घने हुये रस्ती गिरावों की रीमा को लाभ कर अपनी भरसक चाल में चल रहे हैं वहीं दूसरी ओर प्लाई ऐश डिसे जहरीला कचरा की रक्षा भी दी गई है मनमानी जगहों पर उड़ेल दिया जाता है इससे वातावरण प्रदूषित तो हो ही रहा है साथ ही गिराये हुये जगहों के आस पास के लोग बीमार हो रहे हैं।

प्लाई ऐश को निपटारने के लिए शहडोल/अनूपपुर में एक निपटार स्थल बनाया गया है। लेकिन इस स्थल पर पर्यटन सेकुराग की व्यवस्था नहीं की गई है।

फलाई ऐश से जर्जर सड़क पर धान की फसल लगाकर, ग्रामीणों ने किया अनोखा प्रदर्शन



अनूपपुर। जिले में जैतहरी स्थित मोजर बेयर थर्मल पावर प्लांट से हरद ओसीएम में फलाई ऐश का परिवहन किया जा रहा है। जहां ग्राम हरद, बदरा और जमुना से होकर रोजाना सैकड़ों वाहनों का आवागमन होता है। जिससे मुख्य मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे ग्रामवासियों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जर्जर सड़क से परेशान ग्रामीणों ने अनोखा

विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क को खेत बनाकर उसमें धान की रोपाई कर अपना विरोध जताते हुए सरकार के जिम्मेदार अधिकारी और प्लांट के अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। ग्रामीणों के इस अनोखे प्रदर्शन का वीडियो को सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मोजरबेयर थर्मल पावर प्लांट से हवी गाड़ियों से फलाई ऐश का परिवहन किया जा रहा है। जिसके कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीणों को आने-जाने में दिक्कतों के सामना करना पड़ता है। वहीं इस पूरे मामले पर खान प्रबंधक हरद ओसीएम एलवी प्रसाद ने कहा कि पानी निकासी के लिए छोटे-छोटे नालों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन, उनकी सफाई नहीं होने के कारण पानी सड़कों पर जमा होने लगा। जिससे गड़बड़ हो गए, जल्द ही नालों की सफाई कराई जाएगी।

दबांग मीडिया

www.dabangmedia.com

छतरपुर रविवार 04 अगस्त 2024

DIGITAL EDITION

दबांग मीडिया
 एक प्रगतिशील समाचार पत्रिका जो समाज के हर कोने को छूने का लक्ष्य रखती है।
 हमारे पास है: विश्वसनीय समाचार, गहन विश्लेषण, और जनता के आवाजों का प्रतिबिम्ब।
 हमारे साथ रहें, समाज के हर पहलू को जानें।
 संपर्क: 9127722206, 9713016022

आरसी ट्रांसपोर्ट के ओवरलोडिंग से सड़के हुई बेहाल, ग्रामीणों ने सड़कों के गड्ढे पर धान की किए रोपाई

अनूपपुर पुनीत कुमार सेन

अनूपपुर में आरसी ट्रांसपोर्ट के ओवरलोडिंग से सड़के बेहाल हो गए हैं। ग्रामीणों ने सड़कों के गड्ढे पर धान की रोपाई कर दी है।

अनूपपुर में आरसी ट्रांसपोर्ट के ओवरलोडिंग से सड़के बेहाल हो गए हैं। ग्रामीणों ने सड़कों के गड्ढे पर धान की रोपाई कर दी है।

ओवरलोडिंग ट्रकों से जान का खतरा



अनूपपुर में आरसी ट्रांसपोर्ट के ओवरलोडिंग से सड़के बेहाल हो गए हैं। ग्रामीणों ने सड़कों के गड्ढे पर धान की रोपाई कर दी है।

युवाओं ने सड़कों पर लगाए घात

युवाओं ने सड़कों पर लगाए घात। वे सड़कों के गड्ढे पर धान की रोपाई कर रहे हैं।

इनका कदम है

युवाओं ने सड़कों पर लगाए घात। वे सड़कों के गड्ढे पर धान की रोपाई कर रहे हैं।

अनूपपुर में आरसी ट्रांसपोर्ट के ओवरलोडिंग से सड़के बेहाल हो गए हैं। ग्रामीणों ने सड़कों के गड्ढे पर धान की रोपाई कर दी है।

ओवरलोडिंग से सड़के चेतावनी

ओवरलोडिंग से सड़के चेतावनी। सड़कों के गड्ढे पर धान की रोपाई कर दी है।



आरटीओ और पुलिस का कमीशन भी सेट, दिन-ब-दिन बढ़ रहा आक्रोश

ओवरहाइट पर पुलिस और आरटीओ ने की कार्यवाही से दरकिनार, सड़कों की धज्जियां उड़ा रहे वाहन



विश्व जलवायु परिवर्तन-वृद्धि अन्वयपुर पुलिस और आरटीओ विभाग की शिथिलता के कारण जतायात ओवर हाइट रजिस्ट्रेशन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हवी ट्रक प्रशासन को राज्य-राज्य आम जनमानस के सुगमता के लिए चलने वाली सड़कों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन पुलिस और आरटीओ विभाग के साथ जिला प्रशासन उक्त वाहनों पर कार्यवाही करने से कतरा रहा है। अन्वयपुर जिले के जनप्रतिनिधियों के द्वारा ओवरलोड और ओवरहाइट वाहनों को दिए गए सरदाण के कारण जनता परेशान हो रही है।

अन्वयपुर जिले का कांच और अन्वयपुर विभाग प्रशासन में जलवायु परिवर्तन-वृद्धि अन्वयपुर के ओवरहाइट और ओवरलोड के कारण से आम जनमानस को नुकसान हो रहा है। ओवरहाइट और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई न होने से आम जनमानस को नुकसान हो रहा है। ओवरहाइट और ओवरलोड वाहनों को नुकसान हो रहा है। ओवरहाइट और ओवरलोड वाहनों को नुकसान हो रहा है।



कर सड़कें खरब-खरब हो रही हैं। ओवरहाइट और ओवरलोड वाहनों को नुकसान हो रहा है। ओवरहाइट और ओवरलोड वाहनों को नुकसान हो रहा है। ओवरहाइट और ओवरलोड वाहनों को नुकसान हो रहा है।

दिखावे की कार्यवाही और फिर उच्च स्तरीय साठगाट

अन्वयपुर जिले का पुलिस और आरटीओ विभाग का काम ही दिखाने के लिए ही कार्यवाही करवाते हैं। ओवरहाइट और ओवरलोड वाहनों को नुकसान हो रहा है। ओवरहाइट और ओवरलोड वाहनों को नुकसान हो रहा है। ओवरहाइट और ओवरलोड वाहनों को नुकसान हो रहा है।

वेअर रह विधेय परेशन, पुलिस ने की दिवावे की कार्यवाही

हाल ही में कुछ दिनों पूर्व जिला प्रशासन सरकार और आम जनमानस से सड़कों को नुकसान हो रहा है। ओवरहाइट और ओवरलोड वाहनों को नुकसान हो रहा है। ओवरहाइट और ओवरलोड वाहनों को नुकसान हो रहा है।

मन्त्री चक्र आटेरा भी वेअरर

मन्त्री चक्र आटेरा भी वेअरर। ओवरहाइट और ओवरलोड वाहनों को नुकसान हो रहा है। ओवरहाइट और ओवरलोड वाहनों को नुकसान हो रहा है। ओवरहाइट और ओवरलोड वाहनों को नुकसान हो रहा है।

B4

[अनूपपुर]

शोपान, गुरुवार, 25 जुलाई 2024

3

दिलीप बिल्डकॉन द्वारा गढ़ी में खोदी गई खाई को पटवाकर खनिज विभाग मिटा रहा अवैध उत्खनन का सबूत

तामता से अधिक राखड़ के परिवहन में लगे वाहनों की सफाई बनी प्रामीणों के जान की दुश्मन।



दिलीप बिल्डकॉन की पाय की गंगा से खनिज विभाग की दूधकी

गढ़ी में खोदी गई खाई को पटवाकर खनिज विभाग मिटा रहा अवैध उत्खनन का सबूत।



सड़क पर लगे हाईवे वाहनों के लुब्धी कतार

तामता से अधिक राखड़ के परिवहन में लगे वाहनों की सफाई बनी प्रामीणों के जान की दुश्मन।



गढ़ी में खोदी गई खाई को पटवाकर खनिज विभाग मिटा रहा अवैध उत्खनन का सबूत।

अनूपपुर जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार।

गढ़ी में खोदी गई खाई को पटवाकर खनिज विभाग मिटा रहा अवैध उत्खनन का सबूत।

अनूपपुर जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार।

गढ़ी में खोदी गई खाई को पटवाकर खनिज विभाग मिटा रहा अवैध उत्खनन का सबूत।

अनूपपुर जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार।

नेताओं का संरक्षण और पुलिस को नजराना हे भगवान फलाईऐश ओवर लोड हाइवा वाहन से बचाना

यमदूत की तरह सड़क पर रुपतार आंख बंद किए जिम्मेदार



लियावसत अमरा से अर्धदूत फलाईऐश ले कर सड़क पर यमदूत की तरह टोट नर सड़क वाहन पर रोक लगाने की भाग्य की लेकर अमराजना और जमपानाबंध शिवालय पर शिवालयत करन करत चुके। तार कर धरने पर भी रेट चुके है। ईरिडम इन वाहन की ना तो गलतार धम रही है और ना ही इनके अतिरलीत पर कोई लगाम दुमके। वीरि का मुख्य कारण रागी है। एक सला पेश के नेताओं के साथ-साथ पुलिस प्रशासन की गड़वाया जाता है हर महीने एक-दो रकम दुमके। अभी सब सिटम कामन चलै।

सर्वोच्च सत्ता | अनूपपुर | हमबाबू चौधे

अनूपपुर में एक से अधिक बार भी फलाईऐश ले कर सड़क पर यमदूत की तरह टोट नर सड़क वाहन पर रोक लगाने की भाग्य की लेकर अमराजना और जमपानाबंध शिवालय पर शिवालयत करन करत चुके। तार कर धरने पर भी रेट चुके है। ईरिडम इन वाहन की ना तो गलतार धम रही है और ना ही इनके अतिरलीत पर कोई लगाम दुमके। वीरि का मुख्य कारण रागी है। एक सला पेश के नेताओं के साथ-साथ पुलिस प्रशासन की गड़वाया जाता है हर महीने एक-दो रकम दुमके। अभी सब सिटम कामन चलै।

रोकना तो दूर टोकना भी पसंद नहीं यातायत पुलिस को

अनूपपुर शिक से फलाईऐश ले कर सड़क पर यमदूत की तरह टोट नर सड़क वाहन पर रोक लगाने की भाग्य की लेकर अमराजना और जमपानाबंध शिवालय पर शिवालयत करन करत चुके। तार कर धरने पर भी रेट चुके है। ईरिडम इन वाहन की ना तो गलतार धम रही है और ना ही इनके अतिरलीत पर कोई लगाम दुमके। वीरि का मुख्य कारण रागी है। एक सला पेश के नेताओं के साथ-साथ पुलिस प्रशासन की गड़वाया जाता है हर महीने एक-दो रकम दुमके। अभी सब सिटम कामन चलै।



कोतमा, जैतहरी, चचाई और भालूमाड़ा पुलिस लेती नजराना

अनूपपुर शिक से फलाईऐश ले कर सड़क पर यमदूत की तरह टोट नर सड़क वाहन पर रोक लगाने की भाग्य की लेकर अमराजना और जमपानाबंध शिवालय पर शिवालयत करन करत चुके। तार कर धरने पर भी रेट चुके है। ईरिडम इन वाहन की ना तो गलतार धम रही है और ना ही इनके अतिरलीत पर कोई लगाम दुमके। वीरि का मुख्य कारण रागी है। एक सला पेश के नेताओं के साथ-साथ पुलिस प्रशासन की गड़वाया जाता है हर महीने एक-दो रकम दुमके। अभी सब सिटम कामन चलै।

86

ओवर लोड

राखड़ से भारे लोड हाईवा वाहन से नेशनल हाईवे में दुर्घटना की आशंका

सड़क किनारे 50 से अधिक खड़े हाईवा वाहन



डिवाला, उत्तरांचल

भारत का एक मात्र राज्य है, जहाँ नेशनल हाईवे पर हाईवा वाहन से भारे लोड वाहन की संख्या का अनुपात बहुत अधिक है। इससे नेशनल हाईवे पर दुर्घटना की संख्या में वृद्धि हो रही है।

राज्य में नेशनल हाईवे पर हाईवा वाहन से भारे लोड वाहन की संख्या का अनुपात बहुत अधिक है। इससे नेशनल हाईवे पर दुर्घटना की संख्या में वृद्धि हो रही है।

जहाँ जहाँ नेशनल हाईवे पर हाईवा वाहन से भारे लोड वाहन की संख्या का अनुपात बहुत अधिक है। इससे नेशनल हाईवे पर दुर्घटना की संख्या में वृद्धि हो रही है।

जहाँ जहाँ नेशनल हाईवे पर हाईवा वाहन से भारे लोड वाहन की संख्या का अनुपात बहुत अधिक है। इससे नेशनल हाईवे पर दुर्घटना की संख्या में वृद्धि हो रही है।

भारत में नेशनल हाईवे पर हाईवा वाहन से भारे लोड वाहन की संख्या का अनुपात बहुत अधिक है। इससे नेशनल हाईवे पर दुर्घटना की संख्या में वृद्धि हो रही है।

इसका कहना है...

राज्य में नेशनल हाईवे पर हाईवा वाहन से भारे लोड वाहन की संख्या का अनुपात बहुत अधिक है। इससे नेशनल हाईवे पर दुर्घटना की संख्या में वृद्धि हो रही है।

ड. प्रदीप सिंह भारद्वाज
ज्येष्ठ सलाहकार

आवासीय क्षेत्र व नदी के समीप फ्लाई ऐश निपटान के विरोध में आए रामलाल

■ रांवाढदाता, अनूपपुर

नियमों की अजदस्ती के कारण बढ़ रहा प्रदूषण का खतरा

आवासीय क्षेत्रों में डंप हो रहा रासायनिक कचरा

■ 28/02/2020, अनूपपुर

आवासीय क्षेत्रों में डंप हो रहा रासायनिक कचरा... (Small text column on the left of the image)



... (Small text column on the right of the image)

... (Small text column on the far right of the image)



वीमर्लीको कावता

एम.वी पावर प्लांट जैतहरी से निकलने वाले फ्लाई ऐश रासायनिक कचरा जिसे जहरीला कचरा भी कहा जाता है। ओल्डर लोडिंग हैवी वाहनों के माध्यम से आवासीय क्षेत्रों ग्रामीण क्षेत्रों से परिवहन कर नदियों के बगल से व रहवासी क्षेत्रों से महज 50 मीटर व 100 मीटर की दूरी पर डंपिंग किया जा रहा है जिससे प्रदूषण के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। साथ ही नियमों की सीमा को लांघ कर भारी वाहन अपनी मस्त चाल में चल रहे हैं। जिससे अत्ये दिन सड़क दुर्घटना हो रही है। जो जनता को मौत का कारण भी बन रहे है। वही दूसरी ओर सेंदुरी में आवासीय क्षेत्रों से महज 50 मीटर दूर व नदियों के बगल में मनमानी जगहों पर फ्लाई ऐश डंपिंग करने से वातावरण प्रदूषित रहा है साथ ही आवासीय क्षेत्रों के बगल से जहरीला कचरा गिराये जाने से आसपास के लोग बीमार हो रहे हैं। जिसकी खबर लोकदेश अखबार ने प्रमुखता से उठाई है। जिसपर संज्ञान लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता कैबिनेट मंत्री दत्ता प्राण रामलाल रांतेल ने खबर पर संज्ञान लेकर व आम जनता की तकलीफों को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण व जीवन दायिनी तिपान नदी के जल प्रदूषण से निवृत्त होकर क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग शहडोल को पत्र लिखकर यह बात कही है कि

एम.वी पावर प्लांट जैतहरी द्वारा ग्राम सेन्दुरी में फ्लाई ऐश निपटान का कार्य किया जा रहा है। जिससे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन हो रहा है। तिपान नदी से महज पचास मीटर की दूरी पर फ्लाई ऐश का निपटान का कार्य किया जा जिसमें भविष्य में नदी का जल प्रदूषित होगा।

बिना बाउंड्री वाल के हो रहा फ्लाई ऐश निपटान

रामलाल रांतेल ने पत्र में यह बात कही है कि (ओ.ए.एन.ओ. 675/2018, ओ.ए.एन.ओ. 450/2019, ओ.ए.एन.ओ. 105/2020) फ्लाई ऐश निपटान

स्थल पर सीमांकन बाउंड्री नहीं की गई है। जिससे आसपास के रहने वाले रहवासियों को निरंतर असुविधा हो रही है में वायु प्रदूषण होता है। साथ ही क्षेत्र जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1988 धारा 15 (1) (बी) प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 17 का उल्लंघन है।

आवासीय क्षेत्र के करीब गिरा रहे रासायनिक कचरा

फ्लाई ऐश निपटान स्थल से समीप के कालोनी की दूरी 20 मीटर से कम है। जिससे फ्लाई ऐश कास्ट निरंतर उनके घरों में जाता है। एवं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही है जो की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 नियम 16 (2) का उल्लंघन है। उक्त कार्य से पर्यावरण क्षति के कारण आम जनता के सामने स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी हो रही है। फ्लाई ऐश कई हानिकारक रसायन व धातु होने से स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं होती है।

सेंदुरी में फ्लाई ऐश निपटान का रामलाल ने किया विरोध जनहित में रोकने की मांग नदी का जल हो रहा प्रदूषित आम जनता प्रभावित

आर्यावर्त समाचार अनूपपुर प्रतिनिधि

अनूपपुर/ एम.वी पावर फ्लांट जैतहरी द्वारा ग्राम सेन्दुरी में फ्लाई ऐश निपटान का कार्य किया जा रहा है। जिससे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन हो रहा है। तिपान नदी से महज पचास मीटर की दूरी पर फ्लाई ऐश का निपटान का कार्य किया जा जिसमें भविष्य में नदी का जल प्रदूषित होगा। (ओ.ए.एन.ओ. 675/2018, ओ.ए.एन.ओ. 450/2019, ओ.ए.एन.ओ. 105/2020) फ्लाई ऐश निपटान स्थल पर सीमांकन वाउंड्री नहीं की गई है जिससे आस पास के रहने वाले रहवासियों को निरंतर असुविधा



हो रही है में वायु प्रदूषण होता है। साथ ही क्षेत्र जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1988 धारा 15 (1) (बी) प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 17 का उल्लंघन है। फ्लाई ऐश निपटान स्थल से समीप के कालोनी की दूरी 20 मीटर से कम है। जिससे फ्लाई ऐश कास्ट निरंतर उनके घरों में जाता है। एवं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं

जो की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 नियम 16 (2) का उल्लंघन है। फ्लाई ऐश निपटान स्थल पर खनन व खनिज राजस्व विभाग के अनुमति के बिना खनन व उत्खनन का कार्य किया जा रहा है जो

कि खनिज अधिनियम 1957 की धारा 3 उल्लंघन है। उक्त कार्य से पर्यावरण क्षति के कारण आम जनता के सामने स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी हो रही हैं। फ्लाई ऐश कई हानिकारक रसायन व धातु होने से स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं होती हैं। फ्लाई ऐश निपटान हेतु एम.वी. पावर फ्लांट द्वारा फ्लाय एस का परिवहन खुले ट्रक/टिपर का उपयोग किया जा रहा है। जो कि एन.जी.टी/सी.पी.सी.वी के नियमों व दिशा निर्देशों के विरुद्ध है। उक्त विषयों को संज्ञान में लेने एवं एम.वी पावर फ्लांट जैतहरी द्वारा ग्राम सेन्दुरी में जो फ्लाई ऐश निपटान का कार्य किया जा रहा है। उसे तत्काल प्रभाव से रोकते हुये संबंधित विभाग द्वारा जांच करा कर कठोरतम कार्यवाही करने की मांग की है।

सैन्दुरी में फ्लाई ऐश निपटान का रामलाल ने किया विरोध जनहित में रोकने की मांग

नदी का जल हो रहा प्रदूषित आम जनता प्रभावित



सर्वोच्च सत्ता | अनूपपुर

एम.वी पावर प्लांट जैतहरी द्वारा ग्राम सेन्दुरी में फ्लाई ऐश निपटान का कार्य किया जा रहा है। जिससे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन हो रहा है। तितपान नदी से महज पचास मीटर की दूरी पर फ्लाई ऐश का निपटान का कार्य किया जा जिसमें भविष्य में नदी का जल प्रदूषित होगा। (ओ.ए.एन.ओ. 675/2018, ओ.ए.एन.ओ. 450/2019, ओ.ए.एन.ओ. 105/2020) फ्लाई ऐश निपटान स्थल पर सीमांकन बाउंड्री नहीं की गई है जिससे आम पास के रहने वाले रहवासियों को निरंतर असुविधा हो रही है में वायु प्रदूषण होता है। साथ ही क्षेत्र जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1988 धारा 15 (1) (बी) प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 17 का उल्लंघन है। फ्लाई ऐश निपटान स्थल से समीप के कालोनी की दूरी 20 मीटर से कम है। जिससे फ्लाई ऐश कास्ट निरंतर उनके घरों में जाता है। एवं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही है जो की ठोस अपशिष्ट

प्रबंधन नियम 2016 नियम 16 (2) का उल्लंघन है। फ्लाई ऐश निपटान स्थल पर खनन व खनिज राजस्व विभाग के अनुमति के बिना खनन व उत्खनन का कार्य किया जा रहा है जो कि खनिज अधिनियम 1957 की धारा 3 उल्लंघन है। उक्त कार्य से पर्यावरण क्षति के कारण आम जनता के सामने स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी हो रही है। फ्लाई ऐश कई हानिकारक रसायन व धातु होने से स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं होती है। फ्लाई ऐश निपटान हेतु एम.वी. पावर प्लांट द्वारा पलाय एस का परिवहन खुले ट्रक/टिपर का उपयोग किया जा रहा है। जो कि एन.जी.टी/सी.पी.सी.बी के नियमों व दिशा निर्देशों के विरुद्ध है। उक्त विषयों को संज्ञान में लेने एवं एम.वी पावर प्लांट जैतहरी द्वारा ग्राम सेन्दुरी में जो फ्लाई ऐश निपटान का कार्य किया जा रहा है। उसे तत्काल प्रभाव से रोकते हुये संबंधित विभाग द्वारा जांच करा कर कठोरतम कार्यवाही करने की मांग की है।

स्वासखबर

दुर्घटना पर दिखावे का मातम! कारोबारी भाजपा नेताओं के संरक्षण में रफ्तार का बरप रहा कहर

क्षमता से अधिक राखड़ परिवहन करते हाईवा वाहनो पर सत्ता के दलालो को कार्यवाही नहीं बर्दास्त ?

जिले में इन दिनों अमरकंटक ताप विद्युत गृह चर्चाई के राखड़ बाध से क्षमता से अधिक राखड़ का कोतमा, पैरिचुआ तक हो रहे परिवहन को संरक्षण दे रहे कारोबारी भाजपा नेताओं कि देखरेख में चल रहे हाईवा वाहनो का कहर बरप रहा है। बुधवार 24 जुलाई को कोतमा पुलिस के द्वारा क्षमता से अधिक राखड़ का परिवहन करते वाहन को काटा घर लेजाकर वजन कराने के बाद कार्यवाही की कलम चलानी शुरू बया की यह सत्ता के दलालो को बर्दास्त नहीं हुआ और वह मौके पर पुलिस को ही अपने रुआद दिखाने लगे लेकिन कोतमा थाना प्रभारी द्वारा क्षमता से अधिक परिवहन करते पकड़े गए हाईवा वाहन को जप्त कर कार्यवाही हेतु थाने ले जाया गया।

सर्वोच्चसत्ता कोतमा/अनूपपुर

(राज नागायण द्विवेदी)

कोतमा एवं भालुमाडा थाना अंतर्गत राखड़ के परिवहन में लगे हाईवा वाहनो के रफ्तार को चेपेट में आकर जतां कई असमय भीत के आगोम में समा गए तो कई दुर्घटना का पिकार होकर अर्पण हो गए। दुर्घटना के तत्कालिक समय सत्ता के दलाल नुमा नेता दिखाने का मातम करने परदुर्घटना दुर्घटनाग्रस्त पीरिचुआ के परिजनो का दिलेपी बनने है लेकिन उनको वास्तविक हकीकत तथ सामने आनी है जब पुलिस रफ्तार का कहर बरपाने हाईवा वाहनो पर कार्यवाही हेतु जांच करनी है। बुधवार 24 जुलाई को कोतमा थाना प्रभारी सुन्देप सिंह मराठी के द्वारा राखड़ के परिवहन में लगे हाईवा वाहन क्रमांक एमपी 36 एच 0853 को रोक्कर मामून राईस मिल के भर्मकाटा से लेजाकर उसका वजन कराया जाता है जिसमें क्षमता से अधिक परिवहन करते पाए जाने पर उसे थाने ले जाने के लिए कहा जाता है इनने में कुछ एक दलाल नुमा भाजपा के नेता परदुर्घते है और थाना प्रभारी



से वाहन को छोड़ने के लिए कहते है थाना प्रभारी द्वारा दो टुक कार्यवाही का जवाब देने पर यह दुर्घटना नुमा अपने मोबाइल को लेकर दहलना शुरू करते है लेकिन उस दौरान तक अपना रुआय नहीं जमा पाने बाद में हाईवा वाहन पुलिस थाने ले जाती है। हलाकि उक्त हाईवा वाहन मोजर बैयर पायर फ्लोट में राखड़ लेकर जा रहा था या फिर चर्चाई ताप विद्युत गृह के राखड़ बांध क्षमता से अधिक राखड़ परिवहन कर रहा था पुलिस इसकी भी जांच करे।

पाया गया क्षमता से अधिक राखड़ का परिवहन

कोतमा साईं धाम के पास स्थित मामून राईस

मिल के भर्मकाटा में राखड़ के परिवहन में लगे हाईवा वाहन क्रमांक एमपी 36 एच 0853 का जव थाना प्रभारी द्वारा काटा कराया जाता है तो उसमें 39.80 टन मय वाहन सटिन राखड़ का वजन निकलता है जबकि चालक द्वारा वाहन के दर्तावेज में 35 टन की पारिंग थी। जिसके बाद थाना प्रभारी सुंदेप सिंह मराठी के द्वारा उक्त हाईवा वाहन को वैधानिक कार्यवाही हेतु थाने ले जाया गया। समाचार लिखे जाने तक क्षमता से अधिक राखड़ का परिवहन करते पकड़े गए हाईवा वाहन पर कितन धाराओं के तहत कार्यवाही की गई यह जानकार कोतमा पुलिस से नहीं मिल सकी।

इनका कहना है

क्षमता से अधिक राखड़ का परिवहन करते पकड़े गए हाईवा वाहन क्रमांक एमपी 36 एच 0853 को कोतमा पुलिस द्वारा थाने ले जाया गया है उस संबंध में थाना प्रभारी ने स्पष्ट बताया की उक्त वाहन पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

जितेन्द्र सिंह पवार
पुलिस अधीक्षक अनूपपुर



सड़क में गड़टे की गड़टे में सड़क ओवरलोड राखड़ वाहनों के कारण शोध का विषय

सर्वोच्च सत्ता। अनूपपुर/ उमा तिवारी

पूरे जिले भर में राखड़ से ओवरलोड हाईवे वाहनों के दौड़ने के कारण जहां सड़कों में गड़टे बनते जा रहे हैं वही अब तक कई लोग इन वाहनों से चपेट आकर मर भी चुके हैं। इसके बावजूद ना तो वाहनों की रफ्तार थम रही है और ना ही पुलिस और यातायात विभाग इन वाहनों पर ओवरलोडिंग रोक पा रहा है इन वाहनों के कारण सड़क की दुर्दशा देखनी है तो आपको कोतमा से निगरानी मार्ग पर आना पड़ेगा लेकिन जरा संभल कर क्योंकि आपके समझ में यह नहीं आएगा कि सड़क पर गड़टे हैं या गड़टे में सड़क बनी है यह सब केवल चर्चा से उरतान आ रहे राखड़ क्षमता से अधिक राखड़ को भरकर 10 चक्का 12 चक्का 16 चक्का भारी वाहनों की रफ्तार के कारण ही हो रहा है इस समय जब बारिश का समय है और कोतमा निगवानी मार्ग पर सुबह से लेकर देर रात तक हजारों स्थानीय लोग चार पहिया दो पहिया वाहनों से सफर करते हैं यही कारण है कि दिन भर में दर्जनों बार दो पहिया और चार पहिया वाहन इन गड़बड़े के चक्कर में अपना बैलेंस खो दे रहे हैं कई दो पहिया वाहन तो डिम्बैलेंस होकर सड़क पर गिर चुके हैं और इन वाहनों के सवालियों को चोटे भी लग रही है ऐसे में स्थानीय जनता का गुस्सा आना लाजमी है और यही कारण है कि इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य राम जी रिकू मिश्रा ने इस बात की चेतावनी तक जारी कर दी है कि अगर ओवरलोड राखड़ से भरे भारी वाहनों को रोक नहीं गया तो शीघ्र ही जनता के साथ सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

**जानलेवा हो
सकता है
निगवानी से
कोतमा का सफर**



मोजर बेयर का अस्क भर ओवरलोड ट्रक पीएम सड़क की उड़ा रहा धज्जियां



कोतमा चंदन केवट / गांव की सड़क में जोड़ने वाली प्रधानमंत्री सड़क की योजना तात्कालिक प्रधानमंत्री पोर्टल अटल बिहारी वाजपेयी की स्वीणिम योजनाओं में एक रही इस योजना से शहर से लेकर गांव तक विकास की रफ्तार में काफी तेजी देखने को मिली।

कोतमा निगवानी रोड हो रहा चौपट - जिले की जैवहरी कालसोल में स्थित एम जो पावर प्लांट से निकलने वाले अस्क को कोतमा निगवानी मुख्य मार्ग से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर इस्तान के पास दिलीप बिल्डकॉन द्वारा लगाए केश मशीन में हुए गट्टे में तब्दील जमान को भरने का काम किया जा रहा है।

ओवरलोड ट्रक सड़क की

उड़ा रहे धज्जियां- प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाली सड़कों की भार क्षमता 30 टन की होती है किंतु पावर प्लांट से निकलने वाले अस्क को ट्रांसपोर्टों द्वारा 40 से 45 टन ओवरलोड कर ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है जिसे वर्मान के दिनों में सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रही है।

क्या है नियम- प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़कों का मिटेनेंस 5 साल तक बनाने वाली कंपनी का होता है कंपनी के प्रबंधक से बात करने पर बताया कि हमने टेंडर लेने से पहले शासन के बतए अनुमार भार क्षमता 30 टन जो 100 म के

डिन्सोपम से कन्ट्रोल किया गया था तथा ब्रांडिंग कन्ट्रोल 42.5 एमएम का किया गया जिस पर दिन भर में 4 से 6 गाड़ी निकालने की क्षमता आज की गडे थी किंतु आज के डेट में मोजर बेयर पावर प्लांट से

निकलने वाले डस्ट को पावर प्लांट से डूमी रोड के माध्यम से लाया जा रहा है जिसके कारण सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है।

भालूमाड़ा में 18 वर्षीय ने लगाई फांसी कारण अज्ञात

भालूमाड़ा चंदन केवट/दिनांक 23/07/24 को थाना भालूमाड़ा में रतिबाई यादव पति म्, दयागम यादव उम 60 वर्ष निवासी टिहरी टोला थाना भालूमाड़ा ने रिपोर्ट किया कि फरियादिया को नानिन रचना यादव पिता ब्रजलाल यादव उम 18 वर्ष निवासी साजा टोला थाना बिजुरी हाल टिहरी टोला के जंगल में पेड़ पर फांसी लगा ली है। सूचना पर मग क्रमांक 47/27 भाग 194 चीएनएसएस का कायम किया गया मौके पर थाना प्रभारी गकेश उईके मय म्गफ के मौके पर पहुंच कर पंचनामा कार्यवाही कर शव पी एम हेतु कोतमा अस्पताल म्काना किया गया फांसी लगाने के कारणों को पुलिस जांच कर रही है।



सड़क में गड़ढे की गड़ढे में सड़क ओवरलोड राखड़ वाहनों के कारण शोध का विषय

सर्वोच्च सत्ता | अनूपपुर/ उमा तिवारी

पूरे जिले भर में राखड़ से ओवरलोड हाईवे वाहनों के ढौंडने के कारण जहां सड़कों में गड़ढे बनते जा रहे हैं वही अब तक कई लोग इन वाहनों से चपेट आकर मर भी चुके हैं। इसके बावजूद ना तो वाहनों की रफ्तार थम रही है और ना ही पुलिस और यातायात विभाग इन वाहनों पर ओवरलोडिंग रोक पा रहा है इन वाहनों के कारण सड़क की दुर्दशा देखनी है तो आपको कोतमा से निगरानी मार्ग पर आना पड़ेगा लेकिन जरा संभल कर क्योंकि आपके समझ में यह नहीं आएगा कि सड़क पर गड़ढे हैं या गड़ढे में सड़क बनी है यह सब केवल चचाई से उरतान आ रहे राखड़ क्षमता से अधिक राखड़ को भरकर 10 चक्का 12 चक्का 16 चक्का भारी वाहनों की रफ्तार के कारण ही हो रहा है इस समय जब बारिश का समय है और कोतमा निगवानी मार्ग पर सुबह से लेकर देर रात तक हजारों स्थानीय लोग चार पहिया दो पहिया वाहनों से सफर करते हैं यही कारण है कि दिन भर में दर्जनों वार दो पहिया और चार पहिया वाहन इन गड़ढों के चक्कर में अपना बैलेंस खो दे रहे हैं कई दो पहिया वाहन तो डिसबैलेंस होकर सड़क पर गिर चुके हैं और इन वाहनों के सवालियों को चोटे भी लग रही है ऐसे में स्थानीय जनता का गुस्सा आना लाजमी है और यही कारण है कि इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य राम जी रिंकू मिश्रा ने इस बात की चेतावनी तक जारी कर दी है कि अगर ओवरलोड राखड़ से भरे भारी वाहनों को रोक नहीं गया तो शीघ्र ही जनता के साथ सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

**जानलेवा हो
सकता है
निगवानी से
कोतमा का सफर**



Before the N.G.T. Bhopal. (C-2.)
VAKALATNAMA

96

Case No. O.A. / 20 24

Petitioner/ Appellant /
 Applicants

} Chandikant Jha & Ameen Ahmed

VERSUS

Respondent / Non-applicant

} State of M.P. & others

I, we the *Plaintiff/Appellant/Claimant/Petitioner/Applicant or Defendant/ Resp./ Non-applicant named below do hereby appoint, engage and authorize advocate (s) named below to appear, act and plead in aforesaid case/proceedings, which shall include applications for restoration, setting aside of ex-parte orders, corrections modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in the Court or in any order Court in which the same may be tried/heard/proceeded with and also in the appellate revisional or executing Court in which proceedings arising from this case/proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/them to sign and file pleadings, appeals, cross objections, petitions, applications, affidavits, or authorize him/them to deemed necessary or proper for the prosecution/defence of the said case in all its stages and also agree to ratify and confirm acts done by him/them as if done by me/us.

In witness whereof I we do hereunto set my/our hand to these presents, the contents of which have been duly understood by me/us this.....day of 16/8/2024 at Jabalpur

Particulars (in block letters of each party Executing Vakalatnama)

Name & Father's / Husband's Name	Registered Address	E-mail Address (if any)	Telephone No. (if any)	Status in the Case	Full Signature / Thumb Impression
① CHANDIKANT JHA S/O SHRE VIJAY KUMAR JHA	H.NO. 786, WARD NO. 6 SAMUNA NEW DOUBLE STOREY, NEAR GANESH CHOUK ANUPPUR (M.P.)				C K Jha
② AMEEN AHMAD S/O RASID AHMAD	R/O WARD NO. 7, STADIUM KE PASS SAMUNA COLONY HARDA ANUPPUR (M.P.)				Ameen

Accepted : **Particulars (in Block Letters) of each advocate accepting Vakalatnama**

Full name & Enrollment No. in state Bar Council	Address for (if any)	E-mail Address (if any)	Telephone Number (if any)	Full Signature
PRABHAT YADAV 2395/2006	14, NEW MARKET DHAMNANTRI NAGAR JABALPUR 482003		877016- 8425	Prabhat

* Score out whichever is not applicable.

* the thumb impression shall be attested by a literate person giving above particulars.